92

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निग0 3026-I/16

लक्ष्मणदास पिता बारेलालअहारी
साकिन – ईशानगर जिला छतरपुर (म0प्र0) – निगरानीकर्ता/आवेदक

।। वि0 ।।

म0 प्र0 शासन – अनावेदक/उत्तरवादी

निगरानी/आवेदन तहसीलदार ईशानगर जिला छतरपुर के प्र. क्र. –163/बी–121/वर्ष 03–04 के पालनार्थ में राजस्वरिकार्ड में अमल बावत :–

निगरानीकर्ता/आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1) यहकि, निगरानीकर्ता/आवेदक को ग्राम ईशानगर स्थित अंदर आबादी भूमि खसरा नंबर पुरानी 1930/2 नया नंबर 524 के अंश भाग 15 × 30= 450 वर्गफुट का आवासीयपट्टा ग्राम पंचायत ईशानगर द्वारा दि. 19/11/1997 को प्रदान किया गया था । इस बात आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा आवेदन विचारण न्यायालय तहसीलदार ईशानगर जिला छतरपुर, म.प्र में दिया गया कि ग्राम पंचायत के पट्टा अनुसार आवेदक/निगरानीकर्ता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कियाजावें व उपरोक्त विचारण न्यायालय तहसीलदार ईशानगर ने स्वीकार कर अपना आदेश दि. 10/09/2004 पारित किया ।

2) यह कि, विचारण न्यायालय तहसीलदार ने अपना आदेश दिनाँक 10/09/04 पारित करने के पूर्व प्रकरण में विधिवत इश्तहार जारी किया किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आयी विचारण न्यायालय ने साक्षियों के कथन लिये । ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा, नजरी नक्शा, ग्राम पंचायत ईशानगर का प्रस्ताव क्रं. 8 दिनांक 19/11/97 एवं कार्यालय तहसीलदार तहसील छतरपुर के प्रक्र क्रं. 163/बी–121/03–04 पारित किया ।

3) यहकि, विचारण न्यायालय तहसीलदार ने आवेदन निगरानीकर्ता का स्वीकार कर ग्राम ईशानगर स्थित खसरा नं. पुराना 1930/2 नया नंबर 524 म.प्र.शासन अंदर आबादी के अंश भाग 15 × 30 = 450 वर्गफुट पर ग्राम पंचायत ईशानगर द्वारा आवास पट्टा दि. 19/11/97 के आधार पर अपना आदेश दि. 10/09/2004 पारित किया तभी से

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3026–एक/2016 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश लक्ष्मण दास विरूद्व म0प्र0 शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
5.9.16	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित. अनावेदक की ओर से शासकीय पैनल अधिवक्ता उपस्थित. उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये. 2–यह निगरानी तहसीलदार ईशानगर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 163/बी–121/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 10–09–2004 के अनुसार राजस्व अभिलेखों में उक्त आदेश की प्रविष्टि न करने के कारण प्रस्तुत की गयी है. आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि तहसीलदार ईशानगर ने ईशानगर स्थित आबादी भूमि पुराना खसरा कमांक 1930/2 नया नम्बर 524 के अंश भाग रकबा 15×30 वर्गफीट आवासीय पटट्ा ग्राम पंचायत ईशानगर द्वारा 19–11–1997 को प्रदान किया गया के अमल हेतु दिनांक 10–09–2004 को सभी तथ्यों की जॉच करने के उपरान्त आदेश पारित किया गया. तथा उक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम की प्रविष्टि करने के आदेश प्रदान किये गये थे. तहसीलदार द्वारा ग्राम पंचायत से	अ

प्राप्त पटट्ा नजरी नक्शा, ग्राम पंचायत ईशानगर द्वारा प्रस्ताव कमांक-8 दिनांक 19-11-1997 एवं तहसीलदार तहसील छतरपुर के प्रतिवेदन पर विचार कर आदेश पारित किया गया था. आवेदक पटट्ा प्राप्त करने के उपरान्त से भूमि पर मकान निर्मित कर अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है. आवेदक द्वारा कई बार राजस्व अभिलेखों में आदेश की प्रविष्टि तदानुसार अपने नाम को अकिंत कराने का प्रयास किया किन्तु 12 वर्ष से अधिक समय हो जाने पर भी अभी तक अधिनस्थ राजस्व कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही नही की गयी है. अतः उन्हे निर्देशित किया जाये.

3- उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को एवं प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया. दस्तावेजों के अवलोकन से यह पाता हूॅ कि आवेदक के हित में ग्राम पंचायत ईशानगर द्वारा 1-10-1982 को आवासीय पटट्ा प्रदान किया गया था. ग्राम पंचायत द्वारा तहसीलदार ईशानगर को भूमि के पटट्े की प्रविष्टि राजस्व अभिलेखों में करने हेतु अपना प्रस्ताव भेजा गया था जिस पर तहसीलदार द्वारा कार्यवाही करते हुए प्रकरण कमांक 164/बी-121/2003-04 कायम कर आवेदक का नाम अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है. वर्ष 2004 से आवेदक लगातार आदेश के

अमल हेतु भटक रहा है. जो कि न्यायोचित नही है. राजस्व कर्मचारियों का दायित्व है कि वे आदेश का अमल कर तदानुसार राजस्व अभिलेख का संधारण करें. उपरोक्त स्थित में यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तहीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण कमांक 163/बी-121/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 10-09-2004 के अनुसार आवेदक के नाम की प्रविष्टि राजस्व अभिलेखों में आदेश प्राप्ती के दिनांक से 1 माह में आवश्यक रूप से करना सुनिश्चित करें. प्रकरण इस निर्देशों के साथ समाप्त किया जाता है. पक्षकार सूचित हों. राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य